न्यायालय— जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद— 36 / 2016

विमल कुमारी बनाम राज्य एवं अन्य

आदेश

प्रस्तुत आंगनवाड़ी अपील वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा के वाद संख्या— 13 / 2013—14 में दिनांक— 28.10.2013 एवं 1805—1 दिनांक— 28.10.2013 के चयन मुक्त आदेश के विरूद्ध क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के न्यायालय में दाखिल किया गया।

समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक— 3226 दिनांक— 11.08.2015 में वर्णित संशोधित निदेश कंडिका— 10 / 10.4 तथा 10 / 10.7 के आलोक में वाद हस्तानान्तरित होकर प्राप्त हुआ हैं। अपीलार्थी का कहना है कि अपीलार्थी का चयन आंगनवाड़ी सेविका आंगनवाड़ी केन्द्र पड़ेवा टोला वार्ड नं0—3 केन्द्र संख्या— 165 पंचायत— महिसरहो, प्रखण्ड परियोजना महिषी हेतु आम सभा दिनांक— 04.06. 2013 को पोषक क्षेत्र के लाभुक वर्गो के महिला पुरूष लाभार्थियों के उपस्थिति में चयन समिति के द्वारा विधिवत रूप से मार्गदर्शिका मे वर्णित प्रावधानों के अनुरूप वार्ड सदस्य की मध्यस्थता एवं प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, बाल विकास परियाजना पदाधिकारी, नौहट्टा पदेन सचिव के मौजूदगी में सभी अर्हताओं को सही पाकर किया गया। चयनोपरान्त अपीलार्थी को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी द्वारा हस्ताक्षरयुक्त चयन पत्र कार्यालय ज्ञापांक— 386 दिनांक— 14.06.2013 को निर्गत किया गया तथा अपीलार्थी के विधिवत चयन के बाद प्रशिक्षण प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। विपक्षी मंजू देवी गलत रूप से अपीलार्थी के चयन को बाधित करने के उद्धेश्य से यह आरोप लगाकर विपक्षी पोषक क्षेत्र वार्ड नं0—3 की निवासी नहीं है, निम्न न्यायालय में अपील वाद संख्या— 13 / 2013—14 दाखिल की हैं। निम्न न्यायालय द्वारा विपक्षी विमल कुमारी के निवास स्थान वार्ड नं0—3 में होने के संबंध में जॉच बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी से करवाया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी ने अपने पत्रांक— 660 दिनांक— 25.09.2013 से गलत जॉच प्रतिवेदन दाखिल की। चूँकि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी के पत्रांक— 660 दिनांक— 28.09.2013 के प्रतिवेदन शाखा प्रबंधक, स्टैट बैंक, महिषी को अपीलार्थी के नाम खाता खोलने का पत्र भेजा गया। पुनः उसी पत्रांक— 660 दिनांक— 28.09.2016 से स्थल निरीक्षण जॉच प्रतिवेदन भेजी। यह बिल्कुल संदेहास्पद प्रतीत होता हैं। निम्न न्यायालय इसे नजर अंदाज कर गलत आदेश पारित किये, जो खंडित योग्य हैं।

विपक्षी का यह कहना सरासर गलत है। अपीलार्थी पोषक क्षेत्र की निवासी नहीं हैं। जबकि अपीलार्थी के नाम से सक्षम प्राधिकार अंचल अधिकारी, महिषी के द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र है तथा बिहार सरकार, समाज कल्याण विभाग के पत्रांक— 3201 दिनांक— 07.08.2015 के कंडिका 4 / 4.5 में वर्णित है कि पोषक क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य होगा। इसके लिए आवास प्रमाण पत्र के रूप में (1) मतदाता पहचान पत्र, (2) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का पासबुक, (3) राशन कार्ड एवं (4) आधार कार्ड मान्य होंगे। प्रमाण स्वरूप मतदाता पहचान, राशन कार्ड जो अपीलार्थी के सास कुश्मी देवी के नाम से है तथा कार्ड के क्रमाक— 4 पर विमला देवी दर्ज है तथा वार्ड नं0—3 के मतदाता सूची के परिवार के सदस्यों का नाम दर्ज है जो आम सभा पंजी पर उल्लेखित हैं। इससे भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के घर से सटे पूरब सड़क दिखाया गया है व सड़क से पश्चिम अपीलार्थी का घर दर्शाया गया है। सड़क से पश्चिम वार्ड नं0—3 है तथा अपीलार्थी के घर से सटे सड़क से पश्चिम शिवनन्दन यादव व बैजनाथ यादव वार्ड नं0—3 में है, उत्तर खाली जमीन व लक्ष्मी यादव वार्ड नं0—3 में दर्शाया गया है व दक्षिण में महेन्द्र मालाकार वगैरह को वार्ड नं0—2 में दर्शाया गया हैं। जॉच प्रतिवेदन में यह कहीं नहीं दर्शाया गया कि विमल कुमारी का घर किस वार्ड में है। जॉच प्रतिवेदन में सिर्फ तर्क दिया गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सड़क से सटे पश्चिम घरों को वार्ड नं0—2 में रखा गया हैं। इसलिए सड़क से पश्चिम शिवनन्दन यादव व बैद्यनाथ यादव का घर वार्ड नं0—3 में है और अपीलार्थी जिसका घर सड़क से पश्चिम है वह वार्ड नं0— 3 में नहीं है। जॉच प्रतिवेदन बिल्कुल गलत, भ्रामक एवं पक्षपात पूर्ण है जो विपक्षी के मेल में उसे गलत रूप में लाभ देने हेतु तैयार किया गया है, जिसे आधार मानकर निम्न न्यायालय द्वारा गलत आदेश पारित कर

अपीलार्थी के विधिवत चयन को रद्द कर विपक्षी को चयन की अहर्त्ता को पुरा नहीं करती है, चयन का आदेश दिया गया है, जो सर्वथा अनुचित है, निम्न न्यायालय के आदेश खण्डित करने योग्य हैं।

विपक्षी मंजु देवी चयन की अहर्त्ता को पुरा नहीं करती है। चयन मार्गदर्शिका की कंडिका– 8.3 के अनुसार आम सभा में आवेदिका द्वारा प्रमाण पत्र की मूल प्रति दिखाया जाना अनिवार्य है, जैसा कि नहीं है। इसलिए विपक्षी चयन के काबिल नही है तथा विपक्षी के देवर बी०एम०पी० में सहरसा जिला अन्तर्गत आम सभा की तिथि को कार्यरत था, जो मार्गदर्शिका के कंडिका– 4.9 के अनुसार चयन की अहर्त्ता को पुरा नहीं करती हैं। साथ हीं अपीलार्थी अपीलार्थी का मेधा अंक 65.42 प्रतिशत है। जबकि, विपक्षी का मेधा अंक 49.71 प्रतिशत हैं, जो अपीलार्थी के मेधा अंक से काफी कम है। इसलिए विपक्षी विपक्षी चयन की अहर्त्ता को पुरा नहीं करती हैं। साथ हीं निम्न न्यायालय के आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि बिमल कुमारी के पति के परिवार के सदस्यों का नाम वार्ड नं0–3 के मतदाता सूची में है। महज गलत जॉच प्रतिवेदन को आधार मानकर चयन रद्द कर दिया गया है, जो मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधान के विपरित हैं। निम्न न्यायालय का आदेश दुर्बल प्रकृति का है, जो साक्ष्य एवं सबुतों का तथ्यात्मक व न्यायिक विवेचना किये बगैर विपक्षी के प्रभाव में आकर गलत आदेश पारित किये है, जो सर्वथा खण्डित करने योग्य हैं।

अन्ततः अपीलार्थी का आगे कहना है कि अपीलार्थी का चयन मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधान के अनुरूप किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितताऐं नहीं की गई है व निम्न न्यायालय द्वारा गलत रूप से चयन रद्ध कर अयोग्य अभ्यर्थी का चयन किया गया आदेश को निरस्त कर आम सभा में विधिवत चयन को सम्पुष्ट करने की याचना की गयी।

प्रतिपक्षी संख्या– 5 मंजू देवी का कहना है कि जाली फरैबी शैक्षणिक प्रमाण–पत्र को दिखाकर चयन प्रक्रिया में भाग ली है, जिसका भी विधिवत जॉच नहीं की गई, जिसे जॉच होना तथा गलत पाये जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई होना भी आवश्यक है। अपीलार्थी का चयन ऑगनवाड़ी सेविका केन्द्र परैया टोला वार्ड नं0–3 केन्द्र संख्या– 165, पंचायत– महिसरहो, प्रखण्ड– महिषी के अन्दर गलत ढंग से दिनांक– 04.06.2013 को चयन समिति द्वारा आम सभा द्वारा किया गया तथा विपक्षी चयन समिति के आदेश से विक्षुब्ध होकर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, सहरसा के न्यायालय में अपील दायर की गयी एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने जॉच करवा कर तथा दोनों पक्षों को सुनकर पक्षकारों के गुण–दोष के आधार पर विधि सम्मत आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी का चयन रद्द करते हुए विपक्षी को नियुक्त कर आंगनवाड़ी सेविका के पद पर कार्य करने का पत्र निर्गत गया जो कार्यरत हैं।

विपक्षी का आगे कहना है कि अपीलार्थी का यह कथन कि पोषक क्षेत्र वार्ड नं0–3, ग्राम पंचायत– महिसरहो का निवासी है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि पोषक क्षेत्र वार्ड संख्या– 3 के मैपिंग पंजी में अपीलार्थी बिमल कुमारी का नाम नहीं है तथा वह वार्ड नं0–3 का निवासी नहीं है, तो फिर वार्ड नं0–3 में आंगनवाड़ी सेविका के पद पर चयन होना न्यायसंगत नही हैं तथा आम सभा में चयन समिति द्वारा अनदेखी कर अपीलार्थी आंगनवाड़ी सेविका पद पर चयन किया गया था, जिसका मेधा अंक पर विचार करने का कोई प्रश्न नहीं था। आवेदिका पोषक क्षेत्र से बाहर, जिनका निवास वार्ड नं0–2 में है जिनका गृह संख्या– 76 पर दर्ज हैं, जिसकी पुष्टि अपीलीय न्यायालय द्वारा दिए गए जॉच प्रतिवेदन के द्वारा सम्पुष्ट होता हैं। बिमल कुमारी के घर के पूर्व सड़क है, पश्चिम में शिवनन्दन यादव एव बैजनाथ यादव का घर है, जो वार्ड नम्बर 3 मे है। उत्तर खाली जमीन है तथा लक्ष्मी यादव का घर है जो वार्ड नंबर–3 में है तथा दक्षिण में प्रमिला देवी व महेन्द्र मालाकार, बद्री माली का घर है जो वार्ड नम्बर–2 मे है तथा वर्ष 2011 के मतदाता सूची में विमल कुमारी पति– सुधीर यादव का नाम वार्ड नं0–2 में दर्ज है। जॉच पदाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि सड़क के पश्चिम सटे घरों को वार्ड नं0–2 में रखा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि विमल कुमारी का घर वार्ड नं0–2 में है, जिसे गलत ढंग से वार्ड नं0–3 में चयन किया गया। अपीलीय न्यायालय के आदेश के अनुसार पत्रांक– 660 दिनांक– 28.09.2013 द्वारा जॉच पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर कोई उजूरदारी अपीलार्थी के द्वारा नहीं की गई और ने भी उस जॉच प्रतिवेदन को स्वीकार कि तथा मौन रही, जिससे स्पष्ट है कि वार्ड नंबर–2 की निवासी होने के कारण वार्ड संख्या–3 में सेविका चयन गलत हुआ तथा ऊपर के न्यायालय में कोई अपील नहीं किया जा सकता क्योंकि, अपील में अच्छे आधार का प्रमाण पत्र आवश्यक हैं। इस अपील में कोई विचारने का

4.3.17

आधार नहीं बनता हैं। आहुत आम सभा प्रश्नगत केन्द्र में गलत उपस्थिति दर्ज कर विपक्षी द्वितीय पक्ष द्वारा अनियमितता करते हुए मार्गदर्शिका के प्रावधान को ताख पर रखकर चयन किया, जिसे ऊपर के न्यायालय द्वारा रद्द किया जाना न्यायोचित है। क्योंकि, विमल कुमारी मैपिंग पंजी वार्ड नं0–3 के पोषक क्षेत्र से बाहर की रहने वाली है, इसलिए उनके बयान का कोई प्रश्न नहीं उठता है। क्योंकि वार्ड नं0–2 के सिरियल एवं पंजी में अपीलार्थी का नाम रहने का कोई सवाल नहीं हैं।

अतः प्रतिपक्षी का कहना है अपीलार्थी का अपील तथ्यहीन एवं बिना आधार का है जिसे खारीज करने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

विमल कुमारी के द्वारा आवासीय साक्ष्य के रूप में राशन कार्ड की प्रति दी गई है, जो कि एस०ई०सी०सी० के सर्वेक्षण के आधार पर है, संभवतः उनके चयन के पश्चात निर्गत हुआ होगा। इसके अलावे साक्ष्य के रूप में मतदाता पहचान पत्र (EPIC) की प्रति दी है, जो वर्ष 2002 का निर्गत है। जबकि, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा के द्वारा सुनवाई के क्रम में इनके अधिवक्ता द्वारा गलती से वार्ड नं0– 02 में नाम अंकित हो जाने के बात बतलायी गयी है। तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का जॉच प्रतिवेदन बिस्तृत रूप में है। इसमें स्पष्ट अंकित है कि आवेदिका वार्ड नं0– 02 के निवासी होने का स्पष्ट प्रतिवेदन हैं।

अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है, अपील खारीज किया जाता हैं।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

4.3.17

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

4.3.17

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 430-2/ विधि, सहरसा, दिनांक– 09-03-17.

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख (13/2013–14) सहित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सहरसा जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
7-3-17